

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

संख्या-2/पी05-20-03/2012गृ0आ0 / श्री अनिल नाथ चोपड़ा सेवानिवृत्त, पुलिस निरीक्षक, वरीयता क्रमांक-65, की प्रोन्नति पूर्व के विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) के द्वारा विभागीय कार्यवाही लंबित रहने के कारण मुहरबंद लिफाफा में रखा गया था। न्यायालय द्वारा निर्दोष साबित होने के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) द्वारा की गयी प्रोन्नति के योग्य की अनुशंसा के आलोक में श्री अनिल नाथ चोपड़ा सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक को इनके कनीय श्री सेराज खाँ, पुलिस निरीक्षक (वरीयता क्रमांक-66) को पुलिस उपाधीक्षक में दी गयी प्रोन्नति की तिथि दिनांक 06.12.2013 से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) सं0-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञांपाक-2/पी05-20-03/2012गृ0आ0

/ पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञांपाक-2/पी05-20-03/2012गृ0आ0 9822 / पटना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी एवं आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना ([www.home.bih.nic.in](http://www.home.bih.nic.in)) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/16

सरकार के उप सचिव